भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली
Project Implementation Unit, Bareilly
26, ग्रीन पार्क, बीसलपुर रोड, बरेली – 243006 (उ.प्र.)
26, Green Park, Beesalpur Road, Bareilly - 243006 (U.P.)
फोन/Tel. : +91-581-2523752, ई.मेल E-mail : bareilly@nhai.org, piubareilly@gmail.com वेब : www.nhai.org

19003/3/FORST-PKG-2/01/2021/पी.आई.यू/बरेली/16466 14.09.2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
मुरादाबाद।

Sub.: Diversion of 63.5796 ha protected Forest land for "Improvement and Up-gradation of Moradabad - Kashipur section of NH-734 including Moradabad bypass under NHDP pahse-VII in the state of Uttar Pradesh. **Package-II:** Moradabad - Kashipur Road (Length= 39.750 km) Start from Ch. 0+00 at Bijna and ends at Ch. 39+750 at UP/UK Border near Dhandi River.

संदर्भ: (1) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद का पत्र सं0 374 दिनांक 16.08.2022
(2) आपका पत्रांक 2832/11–1, मुरादाबाद दिनांक 06.01.2022.
(3) इस कार्यालय का पत्रांक 19003/3/FORST-PKG-2/01/2021/पी.आई.यू/बरेली/15818 दिनांक 12.04.2022
(4) इस कार्यालय का पत्रांक 19003/3/FORST-PKG-2/01/2021/पी.आई.यू/बरेली/15935 दिनांक 21.06.2022

महोदय,

कृपया अपने संदर्भित पत्र दिनांक 06.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयक प्रस्ताव (FP/UP/ROAD/150633/2021) में आपत्तियां इंगित की गयी है तथा त्रुटियों का निस्तारण आख्या/सूचना चाही गयी थी। उक्त संबंध इस कार्यालय के पत्र संदर्भ सं.–2 व 3 (दिनांक 12.04.2022 व दिनांक 21.06.2022) द्वारा आपत्तियों का निस्तारण आख्या आपको प्रेषित कर दी गयी थी। परन्तु दूरभाष पर आपके कार्यालय से हुयी वार्ता में आपके पत्र दिनांक 06.04.2022 के बिन्दु सं.– 7, 8, 9, 10, 11 व 14 की संशोधित आख्या चाही गयी है। इस संबंध में इस कार्यालय की आख्या / सूचना निम्नलिखित है :

क्रम संख्या	आपत्तियाँ	आख्या/सूचना
7	ऑनलाइन पार्ट-1 एवं हार्डकॉपी में एन० पी० वी० सबंधी सर्टिफिकेट्स सलग्न नहीं है। ऑनलाइन पार्ट - 1 मे अपलोड कर हार्डकॉपी में सलग्न करें।	ऑनलाइन पार्ट-1 एवं हार्डकॉपी में NPV वहन करने सम्बन्धित सर्टिफिकेट पूर्व से संलग्न है एवं Annexure-IIIB के तौर पर पुनः संलग्न किया जा रहा है।
8	एन० पी० वी० गणना चार्ट सबंधी सर्टिफिकेट्स सलग्न नहीं किया गया है। प्रस्ताव में सलग्न करें।	ऑनलाइन पार्ट-1 एवं हार्डकॉपी में NPV वहन करने सम्बन्धित सर्टिफिकेट पूर्व से संलग्न है एवं NPV गणना चार्ट सम्बन्धी सर्टिफिकेट वन विभाग द्वारा निर्गत की जाएगी, जो की ECO-CLASS एवं DENSITY से सम्बंधित होगी।
9	ऑनलाइन पार्ट-1 एवं हार्डकॉपी में मानक शर्तो से सम्बंधित प्रमाण पत्र सलग्न नहीं किया गया है। ऑनलाइन पार्ट - 1 मे अपलोड कर हार्डकॉपी में सलग्न करें।	मानक शर्ते Annexure-IV के तौर पर संलग्न कर दिया गया है।
10	ऑनलाइन पार्ट-1 एवं हार्डकॉपी में वन	वन संरक्षण अधिनियम-1980 से सम्बंधित प्रमाण पत्र Annexure-VB के

	संरक्षण अधिनियम – 1980 से सम्बंधित प्रमाण पत्र सलग्न नहीं किया गया है। ऑनलाइन पार्ट - 1 मे अपलोड कर हार्डकॉपी में सलग्न करें।	तौर पर संलग्न कर दिया गया है ।
11	ऑनलाइन पार्ट-1 एवं हार्डकॉपी में सयुक्त निरीक्षण आख्या प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य प्रांरभ न करने, चिन्हित वन स्वरुप, भारत सरकार का पत्र दि० 07.07.2014, 18.03.20210 से सम्बंधित प्रमाण पत्र, प्रतिपूरक वनीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, वन्यजीव विहार, निर्धारित शर्त, टास्क फार्स, परियोजना से लाभांवित, वैकल्पिक प्रमाण मूल्य प्रमाण पत्र, वनभूमि की गणना सम्बन्धी प्रमाण पत्र सलग्न नहीं किया गया है। पुनः ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड कर हार्डकॉपी में सलग्न करें।	1) संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रमाण पत्र संबंधित वन विभाग के साथ संयुक्त सत्यापन के बाद वन विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा । (2) निर्माण कार्य प्रांरभ न करने का प्रमाण पत्र पूर्व से संलग्न कर दिया गया है । (3) चिन्हित वन स्वरुप का प्रमाण पत्र Annexure-VIB के तौर पर संलग्न कर दिया गया है । (4) भारत सरकार का पत्र दि० 07.07.2014, 18.03.20210 से सम्बंधित प्रमाण पत्र Annexure-VIIB के तौर पर संलग्न कर दिया गया है । । (5) वनीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, वन्यजीव विहार प्रमाण पत्र पूर्व से संलग्न है । (6) निर्धारित शर्त प्रमाण पत्र पूर्व से संलग्न है (7) टास्क फार्स प्रमाण पत्र पूर्व से संलग्न है । (8) परियोजना से लाभांवित प्रमाण पत्र Annexure-VIIIB के तौर पर संलग्न कर दिया गया है । (9) वैकल्पिक प्रमाण मूल्य प्रमाण पत्र Annexure-IXB के तौर पर संलग्न कर दिया गया है । (10) वनभूमि की गणना सम्बन्धी प्रमाण पत्र पूर्व से संलग्न है ।
14	ऑनलाइन पार्ट-1 एवं हार्डकॉपी में रेलवे विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र सलग्न नहीं किया गया है, ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव में सलग्न करें।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार भूमि स्वामी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। इस संबंध में अवगत कराना है कि विषयगत परियोजना हेतु आवश्यक समस्त भूमि NH Act-1956 की धारा 3घ के तहत प्रकाशित गजट अधिसूचना सं० क.अ.2637 दिनांक 09.06.2022 के द्वारा सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार में निहित हो चुकी है। रेलवे विभाग द्वारा डिजाइन आदि की स्वीकृति प्रकियाधीन है। स्वीकृति के पश्चात यदि आवश्यक है तो आपके कार्यालय में जमा कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में Undertaking Annexure - XIB के तौर पर संलग्न कर दिया गया है ।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभावित वृक्षों की सूची को प्रतिहस्ताक्षरित कर मांग की गयी है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक वन प्रस्ताव की सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज–1) हेतु प्राथमिकता पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि परियोजना का कार्य समयानुसार प्रारम्भ किया जा सके।

14/09/22

(अमित रंजन चित्रांशी)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. पश्चिम, भा.रा.रा. प्राधिकरण, लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

E-Mail : dfomoradabad@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल-25, रामगंगा विहार, फेस-प्रथम, सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद-दूरभाष सं0-0591-2450066)

पत्रांक 757 /14-1 दिनांक, मुरादाबाद, सितम्बर, 14, 2022.

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
एन0एच0ए0आई0, परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
26 ग्रीन पार्क बीसलपुर रोड,
बरेली-2430006.

विषयः- जनपद मुरादाबाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बरेली द्वारा मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-734) के कि0मी 00.0.00 से 39.750 तक (संरक्षित वनभूमि कि0मी0 चैनेज सं0-0.00 से 38.795 तक) तक 63.5796 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबन्ध में। आनलाईन प्रस्ताव सं0- **FP/UP/Road /150633/2021**

संदर्भः- इस कार्यालय का पत्रांक-374/14-1 दिनांक 16-08-2022 आपका पत्रांक-19003/3/फारेस्ट-पी0के0जी0-2/01/2021/पी0आई0यू0/बरेली/16466दिनांक 14-09-2022.

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आप द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आपत्ति बिन्दु सं0-7,8,9,10,11 व 14 का निस्तारण कर व्हाट्सअप पर आज दिनांक 14-09-2022 को निस्तारण पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित वांछित सूचना/अभिलेख पॉच-पॉच प्रतियों में इस कार्यालय को मूल में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं और न ही परिवेश पोर्टल पर ई0डी0एस0 में अपलोड किये गये हैं।

अतः आपको पुनः अवगत कराना है कि आपके सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित आपत्ति बिन्दु सं0-7,8,9,10,11 व 14 का निस्तारण कर वांछित सूचना/अभिलेख पॉच-पॉच प्रतियों में (मूल में) इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए आपत्ति निस्तारण का पत्र ऑनलाईन परिवेष पोर्टल पर ई0डी0एस0 में अपलोड करने का कष्ट करें।

14/9

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को विषयक कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

Scanned with CamScanner